न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 110/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 08.06.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

खेमराज पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी माल बमोरी, तहसील मांगरोल, जिला बारां

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेन्द्र हाड़ा अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 23.07.2024

अपीलांट्स ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 03/2022 बउनवान खेमराज बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का पेश किया गया। जिसके द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, द्वारा मि.न. 527/99 में पारित निर्णय 05.05.1999 की पालना करवाते हुए प्रार्थी (अपीलांट) के पिता के कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल के सेटलमेंट के बाद दर्ज खसरा संख्या 606 रकबा 1.27 हैक्टेयर व बाद केचमंट 1999–2000 प्रार्थी (अपीलांट) के खाते में दर्ज आराजी खसरा संख्या 1308/1734 रकबा 0.91 हैक्टेयर में कमी रकबा 0.45 हैक्टेयर पूरा किया जाकर प्रार्थी (अपीलांट) का रकबा आराजी पूरा किया जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करना संभव नहीं होने से निर्णय दिनांक 05.05.1999 की अपील सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षकार को पार्टी बनाकर वांछित अनुतोष प्राप्त करना वर्णित करते हुए अपीलांट का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 24.02.2023 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अपीलांट खेमराज के मृतक बड़े भाई भवनीशंकर पुत्र कन्हैयालाल ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पेश करके कथन किया कि ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोली मे स्थित आराजी खसरा संख्या 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा का एक ही खेत था, दौराने सेटलमेंट नवीन खसरा संख्या 606 रकबा 1.27 हैक्टेयर बना कर 0.19 हैक्टेयर की कमी कर दी। इस पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में पेश करके कमी रकबा 0.19 हैक्टेयर पूरा करने पर जिला कलक्टर बारां

द्वारा तहसीलदार मांगरोली एवं हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब कर निर्णय दिनांक 05.05.1999 को पारित करके आदेशानुसार खसरा संख्या 605 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.14 हैक्टेयर व खसरा संख्या 611/1112 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर कम करके 0.19 हैक्टेयर आराजी कमी की पूर्ति प्रार्थी के खाते में कर दी जावे। किंतु उक्त आदेश की पालना आज तक नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2023 विधि न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित व त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के निर्णय की पालना नहीं करवाकर अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अपील करके अनुतोष प्राप्त करने का निर्णय न्यायोचित नहीं है। खसरा संख्या 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है, जो पीढी दर पीढी अपीलांट के परिवार के काश्त चली आ रही है। वर्तमान में हाल खसरा संख्या 1308/1734 रकबा 0.91 हैक्टेयर को सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है, खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर आराजी ग्राम माल बमोरी अपीलांट के खेत का ही टुकड़ा है, जो केचमेंट होने के बाद सिवायचक दर्ज कर दिया और अपीलांट के खाते में खसरा संख्या 1304/1731 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1306/1733 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.18 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जिस पर अपीलांट का कब्जा ही नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया और निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 के अनुसार उक्त निर्णय के पूर्व ग्राम माल बमोरी में कैचमेंट कार्य होने के कारण गत खसरा संख्या 605/0.48 हैक्टेयर व खसरा संख्या 611/1112 से खसरा संख्या 1037 बनाया गया है, जिसे खातेदारान पुरूषोत्तम, नारायण पिसरान गेंदीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 2/3 व नाथूलाल पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया है, अतः इस खसरा नम्बर से पूर्ति किया जाना है, उक्त खसरा नम्बर अन्य खातेदार के दर्ज हो चुका है। अपीलांट को अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर वाके ग्राम माल बमोरी सिवायचक खाता दर्ज अपने खाते करवानी है तथा अपीलांट इसी पर पीढी दर पीढी काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से यह प्रार्थना की गई थी कि 1306/1733 व 1304/1731 को विलोपित किया जाकर इनके स्थान पर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर खाते में दर्ज कर दी जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस और ध्यान नहीं देकर प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। इस प्रकार आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर की वर्तमान आराजी जो राज्य सरकार के खाते दर्ज है को अपीलांट के खाते दर्ज किया जाकर अपीलांट के खाते की कमीपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि पूर्व खसरा संख्या 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी सम्वत् 2037–40 में दर्ज था, बाद सेटलमेंट 2044–63 नवीन खसरा संख्या 606 रकबा 1.27 हैक्टेयर दर्ज किया गया और केचमेंट सन् 2000 में होने पर केचमेंट बाद नवीन केचमेंट खसरा संख्या 1304/1731 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1306/1733 रकबा 0.05 हैक्टेयर और खसरा संख्या 1308/1734 रकबा 0.91 हैक्टेयर दर्ज किया गया। अपीलांट आज भी वहीं काश्त कर रहा है, जहां खसरा संख्या 577 था, आराजी वही है सिर्फ रिकोर्ड अदला बदली हुआ है। जिला कलक्टर बारा ने अपने निर्णय दिनांक 05.05.1999 में रकबा कम होना माना है और उसकी पूर्ति खसरा संख्या 606 रकबा 0.48 हैक्टेयर में

से 0.14 हैक्टेयर व खसरा संख्या 611/1112 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 0.05 कम करके 0.19 हैक्टेयर अपीलांट के रकबे में मिलाकर पूर्ति किये जाने का आदेश प्रदान किये। खसरा संख्या 606 व खसरा संख्या 611/1112 के स्थान पर वर्तमान में खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर सिवायचक आराजी का नक्शा है। केचमेंट कार्य ग्राम मालबमोरी में सन् 2000 में संपन्न हुआ अर्थात् निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 05.05.1999 के 1 वर्ष बाद पूरा हुआ, लेकिन तहसीलदार मांगरोल द्वारा जिला कलक्टर, बारां के निर्णय की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के निर्णय की पालना नहीं करवाकर अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अपील करके अनुतोष प्राप्त करने का निर्णय न्यायोचित नहीं है। खसरा संख्या 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है, जो पीढी दर पीढी अपीलांट के परिवार के काश्त चली आ रही है। वर्तमान में हाल खसरा संख्या 1308/1734 रकबा 0.91 हैक्टेयर को सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है, खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर आराजी ग्राम माल बमोरी अपीलांट के खेत का ही टुकड़ा है, जो केचमेंट होने के बाद सिवायचक दर्ज कर दिया और अपीलांट के खाते में खसरा संख्या 1304/1731 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1306/1733 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.18 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जिस पर अपीलांट का कब्जा ही नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया और निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 के अनुसार उक्त निर्णय के पूर्व ग्राम माल बमोरी में कैचमेंट कार्य होने के कारण गत खसरा संख्या 605/0.48 हैक्टेयर व खसरा संख्या 611/1112 से खसरा संख्या 1037 बनाया गया है, जिसे खातेदारान पुरूषोत्तम, नारायण पिसरान गेंदीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 2/3 व नाथूलाल पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया है, अतः इस खसरा नम्बर से पूर्ति किया जाना है, उक्त खसरा नम्बर अन्य खातेदार के दर्ज हो चुका है। अपीलांट को अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर वाके ग्राम माल बमोरी सिवायचक खाता दर्ज अपने खाते करवानी है तथा अपीलांट इसी पर पीढी दर पीढी काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से यह प्रार्थना की गई थी कि 1306/1733 व 1304/1731 को विलोपित किया जाकर इनके स्थान पर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर खाते में दर्ज कर दी जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस और ध्यान नहीं देकर प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2023 को खारिज या संशोधित किया जाकर अपीलांट के खाते में दर्ज खसरा संख्या 1304/1731 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1306/1733 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.18 हैक्टेयर को खाते से विलोपित किया जाकर सिवायचक आराजी दर्ज करन से व इनके स्थान पर खसरा संख्या 1308/0.18 हैक्टेयर सिवायचक आराजी को अपीलांट के खाते में दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां का निर्णय न्यायोचित होने प्रकट किया तथा अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करना संभव नहीं होने से निर्णय दिनांक 05.05.1999 की अपील सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षकार को पार्टी बनाकर वांछित अनुतोष प्राप्त करना वर्णित करते हुए अपीलांट का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 24.02.2023 से खारिज किया गया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के निर्णय की पालना नहीं

करवाकर अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अपील करके अनुतोष प्राप्त करने का निर्णय न्यायोचित नहीं है। खसरा संख्या 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है, जो पीढी दर पीढी अपीलांट के परिवार के काश्त चली आ रही है। वर्तमान में हाल खसरा संख्या 1308/1734 रकबा 0.91 हैक्टेयर को सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है, खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर आराजी ग्राम माल बमोरी अपीलांट के खेत का ही टुकड़ा है, जो केचमेंट होने के बाद सिवायचक दर्ज कर दिया और अपीलांट के खाते में खसरा संख्या 1304/1731 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1306/1733 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.18 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जिस पर अपीलांट का कब्जा ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से यह प्रार्थना की गई थी कि 1306/1733 व 1304/1731 को विलोपित किया जाकर इनके स्थान पर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर खाते में दर्ज कर दी जावे। प्रकरण में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 के अनुसार न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 05.05.1999 के पूर्व ग्राम मालबमोरी में केचमेंट कार्य होने के कारण गत खसरा संख्या 605/0.48 हैक्टेयर व 611/1112 के खसरा नम्बर 1037 बनाया गया। जिसे खातेदारान पुरूषोत्तम, नारायण पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण हि. 2/3 नाथूलाल पुत्र कन्हीराम जाति तेली हि. 1/3 दर्ज किया गया। इस प्रकार रिपोर्ट में वर्णित किया गया कि प्रार्थी खेमराज (अपीलांट) को जिस खसरा नम्बरान से रकबे की कमी पूर्ति की गई थी वह अन्य खातेदारान के दर्ज हो चुके हैं, इस कारण निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा कमीपूर्ति किये गये खसरा नंबरान अन्य व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज होने से अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करना संभव नहीं होने तथा निर्णय दिनांक 05.05.1999 की अपील सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षकार को पार्टी बनाकर वांछित अनुतोष प्राप्त करना वर्णित करते हुए अपील खारिज की गई। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में चाहा गया अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पोषनीय (मेंटेनेबल) नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 24.02.2023 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा